स्वतंत्र भारत में शैक्षिक अवसरों की समानता हेतु उठाये गये कदम

डॉ0 सुनीता गुप्ता*

भारत में वैदिककाल से लेकर बौद्धकाल तक शिक्षा में समानता का पूर्ण प्रचलन था। आश्रमों, गुरुकुलों, संघों, विहारों तथा मठों में सभी वर्ण, वर्ग तथा जातियों के बालक अपनी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर प्रमुख रुप से एक छत के नीचे बिन किसी भेदभाव के शिक्षा ग्रहण करते थे। राज परिवार, कुलीन परिवार तथा जनसाधारण परिवार के बालकों में आश्रम में कोई अन्तर नहीं किया जाता था। परन्तु मध्यकाल आते–आते शिक्षा केवल उच्च जाति के बालकों के लिए सीमित कर दी गयी। अछूत, शूद्र और महिलाओं के लिए सभी प्रकार की शिक्षा के द्वार बन्द हो गये। अंग्रेजी शासन के आते ही यह स्थिति और भी खराब हो गई। अंग्रेजी शासन काल में शिक्षा केवल उच्च या धनी वर्ग के लिए थी। स्वतंत्रता के उपरान्त संविधान के मैलिक अधिकारों की व्यवस्था द्वारा पुनः शिक्षा के क्षेत्र में समानता को आधार बनाया गया।

शैक्षिक अवसरों की समानता का विचार मुख्यतः लोकतंत्र की देन है जो सामाजिक न्याय का पक्षधर है। इस लोकतंत्रीय भावना के आधार पर सर्वप्रथम 1870 में ब्रिटेन में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कियागया और उसे सर्वसुलभ बनाया गया। इसके बाद यूरोप के अन्य देशों में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया और इसे सर्वसुलभ बनाया गया। भारत में 1859 में लार्ड कैनिंग ने प्राथमिक शिक्षा पर कर लगाया और इससे प्राप्त धनराशि से प्राथमिक शिक्षाके विकास के लिए प्रयत्न शुरु किया परन्तु इससे कोई सफलता नहीं मिली। 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग (हण्टर आयोग) की सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों ने प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रयत्न शुरु किया। जिससे 1881–82 में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 82916 तथा छात्र–छात्राओं की संख्या 2061541 थी जो 1901–02 में बढ़कर क्रमशः 93604 और 076671 हो गई फिर भी प्राथमिक शिक्षा, जन शिक्षा का रुप नहीं ले सका। राष्ट्रीय नेताओं में सर्वप्रथम बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ ने 1892 में अपने राज्य के 9 ग्रामों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा योजन लागू की और 1906 में एक अधिनियम द्वारा अपने राज्य में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। 1910 में गोपालकृष्ण ने केन्द्रीय धारा सभा में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा जो अस्वीकार हो गया। 1911 में पुनः गोखले द्वारा रखा प्राथमिक शिक्षा विधेयक को सरकार ने अस्वीकार कर दिया। सरकार द्वारा 1913 में पारित प्रस्ताव के तहत 1920 तक 11 में से 7 प्रान्तों (बम्बई, पंजाब, संयुक्त प्रान्त, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मद्रास) में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम पास किये गये। 1937 में गांधी जी ने वर्धा शिक्षा योजना प्रस्तुत किये।

स्वतंत्रता के पश्चात् संविधान के भाग 4 के नीति निदेशक सिद्धान्त के अनुच्छेद 45 में राज्य हो निर्देश दिया कि वह 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों की अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। संविधान के अनुच्छेद 29 में यह घोषणा की गई कि राज्य द्वारा पोषित अथवा आर्थिक सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्था के किसी भी बच्चे को धर्म, मूल, वंश अथवा जाति के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जायेगा। प्रारम्भ में शिक्षा राज्य सूची में थी और शिक्षा की व्यवस्था राज्यों पर निर्भर थी बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया। इस प्रकार शिक्षा की व्यवस्था राज्य और केन्द्र दोनों की जिम्मेदारी है।

कोठारी आयोग और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968

देश में इस समस्या पर सर्वप्रथम विचार कोठारी आयोग (1964–66) में किया गया। इस आयोग ने सुझव दिया कि शैक्षिक अवसरों की समान सुविधा प्रदान करने के लिए सर्वप्रथम 6–14 आयु वर्ग के बच्चों की कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क की जाए और किसी भी वर्ग के बच्चों की शिक्षा प्राप्त करने में आने वाली कठिनाईयों को दूर किया जाये। साथ ही देश के सभी वर्ग के बच्चों, युवकों व प्रौढ़ों के लिए उनकी रूचि, रूझान, योग्यता और आवश्यकतानुसार माध्यमिक, उच्च, प्रौढ़ और सतत् शिक्षा की व्यवस्था की जाये और किसी भी वर्ग के बच्चों, युवकों और प्रौढ़ों की इस प्रकार की

* असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षा संकाय, राजकिशोर सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बरुइन, जमानियाँ, गाजीपुर

शिक्षा प्राप्त करने में आने वाली कठिनाईयों को दूर किया जाये। कोठारी आयोग ने शैक्षिक अवसरों को परिभाषित किया है– ''शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ है राज्य द्वारा देश के सभी बच्चों क लिए स्थान, जाति, धर्म अथवा लिंग आदि किसी भी आधार पर भेद किये बिना एक निश्चित स्तर तक की शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क रुप से सुलभ कराना और उनकी इस शिक्षा को प्राप्त करने में आने वाली कठिनाईयों का निवारण करना। साथ ही देश के सभी बच्चों और युवकों को इससे आगे की शिक्षा उनकी रूचि, रुझान, योग्यता, क्षमता और आवश्यकतानुसार सुलभ कराना और उनकी इस शिक्षा को प्राप्त करने में आने वाली कठिनाईयों का निवारण करना।''

शिक्षा में सार्वभौमीकरण

1950 में भारत के संविधान को स्वीकार करने के पश्चात् निःशुल्क एवं अनिवार्य और सार्वभौमिक शिक्षा की आवश्यकता कुशल गणतंत्र, सफल नागरिकता, सबल राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्य माना गया। शिक्षा में सार्वभौमिकरण सबसे अधिक प्राथमिक स्तर पर आवश्यक है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के सार्वभौमीकरण का अर्थ 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों को या कक्षा 1 से 8 तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना। शिक्षा के सार्वभौमीकरण की संकल्पना स्वीकार करती है कि बिना जाति, धर्म या मत इत्यादि की ओर ध्यान दिये शिक्षा प्रत्येक बालक का मौलिक अधिकार है। इसका यह अर्थ भी है कि देशा के अमीर या गरीब वर्ग से सम्बन्ध रखने वाले नगरों या ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले तथा दुर्लभ स्थानों में रहने वाले सभी बच्चों के प्रारम्भिक शिक्षा की सुविधायें प्रदान की जायेगी।

पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा का विकास

1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–56) में शिक्षा पर 153 करोड़ रुपये व्यय हुए, जिनमें से 85 करोड़ रुपये प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन और विकास पर व्यय किये गये। दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956–61) में शिक्षा पर 273 करोड़ रुपये व्यय किये गये जिनमें से 95 करोड़ रुपये प्राथमिक शिक्षा पर व्यय किये गये। इस योजना के तहत 1957 में केन्द्र सरकार ने 'अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद्' का गठन किया गया जिसके फलस्वरुप प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए। तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961–66) में शिक्षा पर 589 करोड़ रुपये व्यय किये गये, जिनमें से 201 करोड़ रुपये प्राथमिक शिक्षा पर व्यय किये गये। इससे प्राथमिक विद्यालय और विद्यार्थियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हुई। इसी बीच 1966 में कोठारी कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा नीति 1968 की घोषणा की गई।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969–74) में शिक्षा पर कुल 786 करोड़ रुपये व्यय किये गये। जिनमें से 239 करोड़ रुपये प्राथमिक शिक्षा पर व्यय किये गये। पांचवी पंचवर्षीय योजना (1974–79) में शिक्षा पर कुल 912 करोड़ व्यय किये गये, जिनमें से 317 करोड़ रुपये प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन एवंविकास के लिए व्यय हुए। इस योजना में स्कूल के छात्र/छात्राओं के लिए निःशुल्क मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई और कमजोर वगों के छात्र–छात्राओं के लिए निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकें एवं लेखन सामग्री वितरित की गई। पांचवी योजना के अन्तिम वर्ष 6–14 आयु वर्ग के ऐसे बच्चे जो औपचारिक शिक्षा का लाभ नहीं उठा पा रहे थे उनके लिए निरौपचारिक शिक्षा शुरु की गई।

छठीं पंचवर्षीय योजना (1980–85) में प्राथमिक शिक्षा पर 836 करोड़ रुपये व्यय किये गये। निरौपचारिक शिक्षा का और विस्तार किया गया। सातवीं योजना (1985–90) में शिक्षा पर कुल 7633 करोड़ रुपये व्यय किये गये जिनमें 2849 करोड़ रुपये प्राथमिक शिक्षा पर व्यय किये गये। 1987–88 में 'ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना' शुरु की गई। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992–97 में शिक्षा पर कुल व्यय 19600 करोड़ रुपये व्यय किये गये। जिनमें 11844 करोड़ रुपये प्राथमिक शिक्षा पर व्यय किये गये। 1994 में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में 'जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम' शुरु किया गया। नवीं पंचवर्षीय योजना 1997–2002 में शिक्षा पर 20381.6 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया जिसमें 1184.4 करोड़ रुपये प्राथमिक शिक्षा के लिए रखे गये। परन्तु व्यय 1636.5 करोड़ रुपये हुए। नवम्बर 2000 में 'सर्वशिक्षा अभियान' मंजूर तथा जनवरी 2001 से शुरु किया गया।

10वीं पंचवर्षीय योजना 2002–07 में शिक्षा के लिए 4285 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया जिसमें 28750 करोड़ रुपये प्राथमिक शिक्षा पर व्यय हुआ। 2002 में 86वां संविधान संशोधन कर संविधान

में अनुच्छेद 21–ए जोड़ा गया जिसके द्वारा 6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को उनका मूल अधिकार घोषित किया गया। 2001–02 में शुरु की गई 'सर्व शिक्षा अभियान' पर 15 हजार करोड़ खर्च किये जा चुके हैं। भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद का 3.74 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करता है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए निर्धारित 43825 करोड़ रुपये का परियोजना व्यय था जिसमें से प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता विभाग को 3000 करोड़ रुपये दिये गये थे। वास्तविक व्यय 48201 करोड़ रुपये था जिसमें सर्वशिक्षा अभियान पर 28077 करोड़ रुपये और एम.डी.एम.एस. पर 13827 करोड़ रुपये था जो प्रारम्भिक शिक्षा कोष का 88 प्रतिशत है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 का उद्देश्य 6–14 आयु वर्ग के बच्चों को सर्वव्यापी नामांकन, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, वर्ष 2011–12 तक नामांकन में सभी लैंगिक, सामाजिक और क्षेत्रीय अन्तरों को समाप्त करना, 2011–12 तक प्राथमिक स्तर पर विद्यालय छोड़ने की दर समाप्त करना तथा प्रारम्भिक स्तर पर विद्यालय छोड़ने की दर को समाप्त करके 50 प्रतिशत से 20 प्रतिशत करना। सीखने के मूल कौशल, मौखिक और मात्रात्मक पर विशेष जोर देते हुए सीखने की स्थितियों में पर्याप्त सुधार करना तथा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। वर्ष 2002 में संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। इसके बाद भी 7.5 मिलियन बच्चों का विद्यालय से बाहर रहना तथा 50 प्रतिशत बच्चों का प्राथमिक स्तर पर विद्यालय छोड़ देना गम्भीर चिन्ता का विषय मानते हुए शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

इस योजना में जीडीपी का 6 प्रतिशत तक शिक्षा पर खर्च करने का निर्धारण हुआ। व्यय बढ़ाने के लिए केन्द्रीय बजट 2004 में प्राथमिक शिक्षा के लिए केन्द्रीय शुल्क पर 2 प्रतिशत का उपकर लगाया। 11वीं योजना में शिक्षा के 2006–07 में 2.37 लाख करोड़ की तुलना में 2.70 लाख करोड़ परिव्यय हुआ। कुल योजना परिव्यय में शिक्षा का भाग 7.7 था। 11वीं योजना का परिव्यय का लगभग 50 प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा, साक्षरता 20 प्रतिशत, माध्यमिक 20 तथा उच्च पर 30 प्रतिशत किया गया।

12वीं पंचवर्षीय योजना 2012–2017 में शिक्षा को केन्द्र में रखा गया है। इसे भारत की शिक्षा योजना कहा गया हैं शिक्षा के लिए 11वीं व्यय योजना में सकल घरेलू उत्पाद के परियोजना व्यय 7.7 फीसदी की तुलना में 12वीं योजना में सकल घरेलू उत्पाद का 19 फीसदी खर्च करने का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2011–12 में 52.057 करोड़ रु0 का शिक्षा बजट निर्धारित किया गया था।

ड्राफ्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1979

तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था की कमियों पर विचार–विमर्श और चिन्तन–मनन के उपरान्त सन् 1979 में भारत सरकार ने नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया। इसमें 23 शीर्षकों के अन्तर्गत शिक्षा की राष्ट्रीय नीति को लिपिबद्ध किया गया। इस ड्राफ्ट में 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों की निःशुल्क शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी। प्रारम्भिक शिक्षा के प्रारम्भिक वर्षों की अधिगम प्रक्रिया में परिवर्तन कर औपचारिक शिक्षा के अपेक्षा सृजनात्मक व आनन्ददायक क्रियाओं पर अधिक बल दिया गया तथा स्कूल छोड़ देने या स्कूल न गये बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की योजना बनायी गयी। अपव्यय और अवरोधन की समस्या का विस्तारपूर्वक अध्ययन और इसके उपचारात्मक उपाय पर विचार शुरु हुआ। निर्धन छात्रों को मध्याह्न भोजन, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, पाठ्य सामग्री व गवेषण जैसे प्रोत्साहन दिये जाने का प्रावधान हुआ। लड़कियों व अनुसूचित जाति व जनजाति के बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। इसी ड्राफ्ट के आधार पर प्रौढ़ निरक्षरता कम करने हेतु प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ किया। जिसका तत्कालिक उद्देश्य 5 वर्ष में 10 करोड़ प्रौढ़ों को शिक्षित करना था।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986 को कुल बाहर खण्डों में बांटा गया है। जिनमें कुल 157 बिन्दुओं के अन्तर्गत नई शिक्षा नीति को लिपिबद्ध किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पूर्व बाल्यकाल परिचयों तथा शिक्षा के अत्यन्त महत्व दिया गया है। पूर्व बाल्यकाल परिचर्या तथा शिक्षा में बालक का सम्पूर्ण विकास– शारीरिक गायक, बौद्धिक, भाषायी, संवेगात्मक, सामाजिक तथा नैतिक समाहित रहता है। इसकी आयु अवधि गर्भाधान से लेकर 6 वर्ष तक रहती है। इस अवधि प्रक्रिया में गर्भावस्था के दौरान माता की

देखभाल सुरक्षित, प्रसव, माल का आहार, टीकाकरण, बाल परिचर्चा से सम्बन्धित माता की शिक्षा आदि तथा एकीकृत बाल विकास सेवा द्वारा बालक के पूर्व विद्यालयी शिक्षा पक्ष को सुदृढ़ किया जायेगा। पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में स्वास्थ्य एवं पोषण पक्षों को जोड़ा जायेगा तथा बच्चों को लिखना–पढ़ना व गणित सिखाया जायेगा। इस शिक्षा नीति में शिक्षा को दो भाग में बाँटा गया (अ) पूर्व बाल्यकाल देखभाल व पूर्व प्राथमिक शिक्षा (ब) प्राथमिक शिक्षा

(अ) पूर्व बाल्यकाल देखभाल व पूर्व प्राथमिक शिक्षा

इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिशु के विकास को सर्वतोन्मुखी प्रकृति को मान्यता दी गयी अर्थात् आहार, स्वास्थ्य तथा सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, नैतिक व भावात्मक विकास पर विशेष ध्यान देते हुए समेकित बाल विकास कार्यक्रम चलाया जायेगा जिससे पूर्व प्राथमिक शिक्षा को समेकित करते हुए विद्यालयों के स्वास्थ्य कार्यक्रमों को और सुदृढ़ बनाया जायेगा। साथ ही प्रारम्भिक शिक्षा को बाल केन्द्रित बनाते हुए 14 वर्ष के सभी बालकों को विद्यालय भेजने का प्रबन्ध किया जायेगा।

(ब) प्राथमिक शिक्षा

शिक्षा नीति 1986 में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों का सार्वजनिक नामांकन व नियमित शिक्षा प्राप्ति तथा शिक्षा की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार पर बल दिया जायेगा। इस शिक्षा नीति में 'ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना' शुरु की गई जिसके तहत प्राथमिक विद्यालयों में अनिवार्य सुविधाओं का प्रबन्ध जिसमें दो उचित आकार के बड़े कमरे शामिल होंगे जिनका सब ऋतुओं में प्रयोग किया जा सके तथा आवश्यक खिलौने श्यामपट्ट, मानचित्रों, चार्ट तथा अधिगम की अन्य सामग्री उपलब्ध होगी। प्रत्येक विद्यालय में कम से कम दो अध्यापक नियुक्त होंगे जिनमें से एक महिला होगी, कामगार बच्चों, पूर्णकालिक विद्यालय में पढ़ने में असमर्थ लड़कियाँ तथा विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों के लिए निरौपचारिक शिक्षा का व्यापक व क्रमबद्ध कार्यक्रम शुरु किया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में माध्यमिक शिक्षा के प्रसार व उन्नयन हेतु आवश्यकतानुसार देश के विभिन्न भागों में नवोदय विद्यालयों की स्थापना हुई ताकि तीव्र गति से विकास करने वाले तथा विशेष प्रतिकार वाले बच्चों को अवसर प्रदान किया जा सके। नवोदय स्कूलों का सामान्य उद्देश्य–उत्कृष्टता, समानता व सामाजिक न्याय आदि तात्कालिक उद्देश्यों की पूर्ति करना, ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभावान बच्चों की क्षमताओं का पूर्ण विकास करना व स्कूलों को आवासीय व निःशुल्क बनाया गया।

संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1992

आचार्य राममूर्ति समिति की अध्यक्षता में सत्रह सदस्यीय समिति 1986 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा की और अपना सुझाव दिया। समिति ने शिक्षा की भूमिका, शिक्षा व नारी शिक्षा, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों की शिक्षा, विकलांगों की शिक्षा सार्वजनिक स्कूल प्रणाली, नवोदय विद्यालय, शिशु देखभाल व शिक्षा प्रारम्भिक शिक्षा का सर्वीकरण, प्रौढ़ व अनुवर्ती शिक्षा, शिक्षा व काम का अधिकार, शिक्षा में भाषाओं का स्थान, शिक्षक व छात्र, शिक्षा के लिए संसाधन आदि के सम्बन्ध में अनेक महत्वपूर्ण सुधार की अनुसंशा की थी।

कस्तूरबा गांधी शिक्षा तथा विद्यालय योजना

कम महिला साक्षरता वाले जिलों में बालिकाओं के लिए विशेष आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1997 को कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना नामक एक कार्यक्रम शुरु किया गया। अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग तथ अल्पसंख्यक समुदायों की बालिकाओं के लिए उच्च प्राथमिक स्तर के आवासीय विद्यालय की स्थापना करने के लिए जुलाई 2004 में शुरु किया गया। 1 अप्रैल 2007 से इस कार्यक्रम को सर्व शिक्षा अभियान से मिला दिया गया। भारत सरकार ने लगभग 2180 ऐसे विद्यालयों की स्थापना की है।

सर्व शिक्षा अभियान

इस अभियान की शुरुआत 2001 में की गयी। इसका मुख्य 6–14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को वर्ष 2010 तक 8वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना है। इसके लिए प्रतिवर्ष 9000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट आवंटित करने का प्रावधान है। इस अभियान पर किये जाने वाले व्यय में केन्द्र और राज्य सरकार की भागीदारी 85:15 के अनुपात में नवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002) में

निर्धारित की गयी, जिसे दसवीं योजना में 75:25 तथा ग्यारहवीं योजना (2007–2012) में 50:50 के अनुपात में कर दिया गया। योजना के क्रियान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय सर्व शिक्षा मिशन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में स्थापित किये गया है। इसके अलावा 10:30 लाख शिक्षकों की नियुक्ति तथा 35 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षण का काम किया गया है। कार्यक्रम में बालिका पिछड़ी जाति/जनजाति तथा कमजोर एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके तहत ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, अध्यापक अनुपस्थिति के सम्बन्ध में शिक्षाकर्मी परियोजना, लड़कियों की शिक्षा के सम्बन्ध में लोक जुम्बिश परियोजना, सर्वशिक्षा अभियान, एकमात्र ऐसा समग्र कार्यक्रम है जो प्रारम्भिक शिक्षा के सभी पहलुओं का निराकरण कर रहा है। इसमे लगभग एक मिलियन से अधिक प्रारम्भिक विद्यालय तथा लगभग 20 करोड़ बच्चे हैं।

प्रारम्भिक शिक्षा जिसमें प्राथमिक (1–5) तथा अपर प्राथमिक (6–8) सम्मिलित है शिक्षा प्रणाली की नींव है तथा इसे दसवीं योजना में सर्वशिक्षा अभियान के माध्यम से काफी प्रोत्साहन मिला।

शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं अनूठी योजना

यह कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह कार्य्रक्रम स्कूल न जाने वाले बच्चों की बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम के तहत लाने के लिए चलाया जाता है। शिक्षा गारण्टी योजना के अन्तर्गत उन बस्तियों ने स्कूली सुविधाएँ दी जाती है जहाँ एक किलोमीटर की दूरी के अन्दर प्राथमिक स्कूल नहीं है। इन योजनाओं में बालिकाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

महिला समाख्या योजना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुरुप इस कार्यक्रम को वर्ष 1989 में ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक एवं आर्थिक रुप से पिछड़े वर्ग की महिलाओं की शिक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए इस योजना की शुरुआत की गयी। वर्तमान में यह योजना आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश तथा गुजरात आदि राज्यों के 105 जिलों के 33577 गांवों में चलाई जा रही है।

शिक्षा सहयोग योजना

केन्द्र सरकार ने वर्ष 2001 में 31 दिसम्बर को इस योजना की शुरुआत की। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चों को आठवीं के बाद शिक्षा जारी रखने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय योजना

यह बालिका शिक्षा में आने वाली बाधाओं को विकेन्द्रीकृत प्रक्रियाओं एवं निर्णयों के माध्यम से दूर करने का एक समग्र प्रयास हे। इस योजना में लड़कियों का स्कूल न जाने, स्कूल छोड़ने अथवा नामांकन होने के बाद भी नियमित रुप से विद्यालय न जाने के कारणों का पता लगाकर उन्हें दूर करने का प्रयत्न किया जाता हैं।

मध्याह्न भोजन योजना

15 अगस्त 1995 को देश के 2408 ब्लाकों में यह योजना शुरु की गयी। योजना का मुख्य उद्देश्य स्कूलों में नामांकन बढ़ाना उन्हें बनाये रखने, बच्चों की उपस्थिति तथा बच्चों के बीच पोषण स्तर को सुधारना है। वर्ष 1997–98 के अन्त तक इस योजना को देश के सभी ब्लाकों से लागू कर दिया गया। वर्तमान में मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत लगभग 12 करोड़ ऐसे बालकों को कवर किया जा रहा है। जो सरकारी या स्थानीय निकायों, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों तथा शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक शिक्षा एवं नवीन शिक्षा स्कीमों के अन्तर्गत चलाये जा रहे केन्द्रों में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वर्ष 2007 में शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों (कक्षा 6 से 8 तक) को भी इस योजना में शामिल कर लिया गया।

प्राथमिक शिक्षा में एकलव्य योजना

उ0प्र0 के कानपुर जिले में प्राथमिक शिक्षा की दशा सुधारने हेतु एक अभिनव प्रयोग तत्कालीन जिलाधिकारी मुकेश मेश्राम द्वारा किया गया। इसके तहत शिक्षा स्लोगन को 'बेहतर शिक्षा' के रुप में आगे बढ़ाते हुए कानपुर में स्थित 335 परिषदीय विद्यालयों में एकलव्य योजना शुरु की जिसमें वस्तुदान

व विद्यादान नाम से दो अभियान शुरु किये गये। वस्तुदान में बच्चों के लिए किट जिसमें ड्रेस, स्कूल बैग, नोट बुक, जूता, मोजा व पेंसिल बाक्स उपलब्ध कराया गया। इन विद्यालयों में मिड–डे–मिल की गुणवत्ता और शैक्षिक वातावरण दुरुस्त हो गया। योजना के तहत बच्चों का हेल्थ कार्ड बनवाने, मासिक चेकअप कैम्प लगवाया गया। शिक्षा की बुनियाद को बेहतर बनाने का यह अनूठा पहल है।

अध्यापक शिक्षा योजना

वर्ष 1987–1988 में एक केन्द्र प्रायोजित योजना के रुप में इसकी शुरुआत हुई। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 2003 में इसमें संशोधन करके जनवरी 2004 में संशोधित योजना को लागू किया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना में एन.सी.ई.आर.टी. के निदेशक की अध्यक्षता में उपसमूह गठित किया गया था। इस उपसमूह की सिफारिशों के आधार पर योजना के वर्तमान प्रावधानों के सुदृढ़ करने के अलावा 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ नई योजनाओं को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है।

शिक्षा का अधिकार

संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनु0 21क जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। इस अधिकार के अन्तर्गत राज्य को यह कर्तव्य सौपा गया है कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया गया।

कानून के अन्तर्गत राज्य बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा जिसमें शिक्षकों की नियुक्ति व प्रशिक्षण, विद्यालयों में आवश्यक आधारभूत ढांचे का विकास, स्कूलों में मीड–डे–मिल, निजी स्कूलों में बच्चों को प्रवेश देने सम्बन्धी प्रावधान सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं के विकास के लिए विशेष कदम उठाये गये हैं।

इस प्रकार स्वतत्र भारत में शैक्षिक अवसरों की समानता हेतु ये सारे कदम उठाये परिणामस्वरुप देश में साक्षरता दर निरन्तर बढ़ा है।

संदर्भ :

- मदान, पूनम (2016) : समसामयिक भारतीय शिक्षा, अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा।
- गुप्ता, एस. पी.; गुप्ता, डॉ. अलका (2012) : भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास और समस्याएँ, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद
- सिंह, डॉ. डी. एन., कुमारी श्रीमती निरुपा : प्रारम्भिक शिक्षण विधि, नवदीप पब्लिकेशन, पटना।
- पाण्डेय, जे. एन. (2001, 2012) : भारत का संविधान, सेन्ट्रल लॉ ऐजेन्सी, इलाहाबाद
- कश्यप, सुभाष (2010) : भारत का संविधान, प्रकाशक नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया
- सारस्वत, डॉ. मालती, गौतम, प्रो.एस.एल. : भारतीय शिक्षा का विकास।
 चन्द्र, प्रो. विपिन : भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, हिन्दी माध्यम
- ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–2012, भाग–2, सामाजिक क्षेत्रक पृष्ठ संख्या 1–42, योजना आयोग, भारत सरकार,
- wikipedia.org
- www.righttoeducation.com